न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. : 42 **दायर दिनांक : 06.03.2017**

करणीसिंह पि.मु. (खोलायत पुत्र) विजयसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी रतासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) –वादी

बनाम

राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ –प्रतिवादी

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थित :

1. श्री भगवानदत्त शर्मा, अभिभाषक वादी
2. पैरोकार राज तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़

निर्णय

दिनांक : 28.07.2020

पत्रावली निर्णय हेतु पेश हुई। वादी के अभिभाषक एवं पैरोकार राज उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण के, संक्षेप में, तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने यह वाद धारा 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि रोही रतासर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2067 ता 70 के खाता सं. 22/35 के खसरा नं. 140 में 1.075 है0, खसरा नं. 414 में 6.071 है0, खसरा नं. 415 में 5.060 है0 व खसरा नं. 433 में 1.012 है0, कुल 13.218 है0 (2.087 है0 बारानी प्रथम व 11.131 है0 बारानी दोयम) भूमि करणीसिंह पुत्र तख्तसिंह के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। यद्यपि वादी तख्तसिंह का पुत्र है, किन्तु विजयसिंह पुत्र हरीसिंह के गोद चले जाने के कारण वर्तमान में वादी करणीसिंह खोलायत पुत्र विजयसिंह के नाम से जाना जाता है व इसी अनुसार उसका मतदाता पहचान–पत्र व आधार कार्ड बना हुआ है, इसलिए वादी ने जैरवाद रोही रतासर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2067 ता 70 के खाता सं. 22/35 में अंकित कुल 13.218 है0 (2.087 है0 बारानी प्रथम व 11.131 है0 बारानी दोयम) भूमि का करणीसिंह पुत्र तख्तसिंह के स्थान पर करणीसिंह पिसर मुतवन्ना (खोलायत पुत्र) विजयसिंह को खातेदार कृषक घोषित कर, पूर्व अंकन करणीसिंह पुत्र तख्तसिंह कलमजन कर नाम काश्तकार के खाना में करणीसिंह पि.मु. विजयसिंह राजपूत का नाम अंकित किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया। वाद के साथ गोदनामा व अन्य दस्तावेजी साक्ष्य पेश किये।

क्रमशः ..... पेज 2 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी को 03.05.2017 को विधि अनुसार सम्मन तामील होने के उपरान्त भी उनका जवाब नहीं आया। इसके पश्चात् दिनांक 04.09.2018 को जवाब बन्द कर साक्ष्य वादी प्राप्त किये गये, किन्तु इसके पश्चात् भी जवाब प्रतिवादी आवश्यक मानकर दिनांक 18.06.2019 को पुनः जवाब प्रतिवादी हेतु पत्रावली रखकर जवाब प्रतिवादी एवं एतराज प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया, किन्तु प्रतिवादी राज्य पक्ष प्रतिनिधि राज्य सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर दिनांक 05.03.2020 को उनका जवाब बन्द कर, वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर तर्क पत्रावली सुने गये।

विद्वान अभिभाषक वादी ने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य रोही रतासर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2067 ता 70 के खाता सं. 22/35 के खसरा नं. 140 में 1.075 है0, खसरा नं. 414 में 6.071 है0, खसरा नं. 415 में 5.060 है0 व खसरा नं. 433 में 1.012 है0, कुल 13.218 है0 (2.087 है0 बारानी प्रथम व 11.131 है0 बारानी दोयम) भूमि, जो करणीसिंह पुत्र तख्तसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार के नाम अंकित है, का अवलोकन करवाया। साथ ही वाद के साथ प्रस्तुत गोदनामा का अवलोकन करवाते हुए तर्क दिया कि जैरवाद भूमि के अंकित काश्तकार करणीसिंह के प्राकृतिक पिता तख्तसिंह ने अपने पुत्र करणीसिंह को 10.05.1970 को विजयसिंह पुत्र हरीसिंह को गोद देकर खोलानामा (गोदनामा) दिनांक 15.05.1990 को उप–पंजीयक, सूरतगढ़ के समक्ष पंजीबद्ध करवाया है। वादी के मतदाता पहचान–पत्र, आधारकार्ड आदि भी करणीसिंह पुत्र विजयसिंह के नाम से बने हुए हैं। वादी गोदनामा के आधार पर जैरवाद भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अपना नाम करणीसिंह पुत्र तख्तसिंह के स्थान पर करणीसिंह पि.मु. (खोलायत पुत्र) विजयसिंह अंकित करवाना चाहता है। इसी हेतु वाद प्रस्तुत किया है व शपथ–पत्र भी साथ में संलग्न किया है। वाद स्वीकार होने पर राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानि नहीं हो रही व उसके हित प्रभावित नहीं हो रहे। इस आधार पर वाद वादी स्वीकार करने का निवेदन किया। राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज ने राज्य हित सुरक्षित रखते हुए वाद निर्णय करने की प्रार्थना की।

पक्षकारान के तर्क सुनने के पश्चात् तर्कों के परिपेक्ष्य में पूर्ण पत्रावली का अवलोकन व मनन किया। मुताबिक जमाबन्दी रोही रतासर तहसील

क्रमशः ..... पेज 3 पर

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2067 ता 70 के खाता सं. 22/35 के खसरा नं. 140 में 1.075 है0, खसरा नं. 414 में 6.071 है0, खसरा नं. 415 में 5.060 है0 व खसरा नं. 433 में 1.012 है0, कुल 13.218 है0 (2.087 है0 बारानी प्रथम व 11.131 है0 बारानी दोयम) भूमि वादी के नाम खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। वादी इसमें खोलाग्रहिता पिता का नाम जुड़वाना चाहता है ताकि सरकारी दस्तावेजों में सही स्थिति अंकित हो सके व बाद में किसी प्रकार की कानूनी पेचिदगियां उत्पन्न न हों। सरकारी दस्तावेजों में सही स्थिति अंकित होनी प्राकृतिक न्याय की दृष्टि से भी उचित है। समस्त तथ्यों के अवलोकन से वाद पूर्ण रूप से सन्देह से परे साबित हो रहा है व वाद स्वीकृति से राज्य हित भी प्रभावित नहीं हो रहे, इसलिए वाद वादी स्वीकार किया जाना हम उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन अनुसार वाद वादी स्वीकार कर रोही रतासर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2067 ता 70 के खाता सं. 22/35 के खसरा नं. 140 में 1.075 है0, खसरा नं. 414 में 6.071 है0, खसरा नं. 415 में 5.060 है0 व खसरा नं. 433 में 1.012 है0, कुल 13.218 है0 (2.087 है0 बारानी प्रथम व 11.131 है0 बारानी दोयम) भूमि का खातेदार 'करणीसिंह पुत्र तख्तसिंह कौम राजपूत सा. देह' के स्थान पर 'करणीसिंह पुत्र तख्तसिंह खोलायत पुत्र विजयसिंह कौम राजपूत सा. देह' को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी घोषणा के फलस्वरूप तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को रोही रतासर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2067 ता 70 के खाता सं. 22/35 एवं इसकी बाद की जमाबन्दियों में खसरा नं. 140 में 1.075 है0, खसरा नं. 414 में 6.071 है0, खसरा नं. 415 में 5.060 है0 व खसरा नं. 433 में 1.012 है0, कुल 13.218 है0 (2.087 है0 बारानी प्रथम व 11.131 है0 बारानी दोयम) भूमि का खातेदार 'करणीसिंह पुत्र तख्तसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार' के स्थान पर 'करणीसिंह पुत्र तख्तसिंह खोलायत पुत्र विजयसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार' अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। डिक्री जारी हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक **28.07.2020** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

(आ0 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

डिक्री बमुकद्दम इब्तदाई

अज अदालत – **सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर**
बइजलास – **मनोज कुमार मीणा, आर.ए.एस.**

अनवान :–

करणीसिंह पि.मु. (खोलायत पुत्र) विजयसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी रतासर तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (राज.) –वादी

बनाम

राजस्थान सरकार बजरिये तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ –प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत 88 व 209 आर.टी.ए. मुकदमा नं. 42 वर्ष 2017 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रूबरू हमारे व हाजिर **अभिभाषक वादी श्री भगवान दत्त शर्मा व पैरोकार राज तहसीलदार सूरतगढ़** के पेश होने पर निम्न प्रकार से डिक्री जारी कर, आदेश प्रदान किये जाते हैं :

वाद वादी स्वीकार कर रोही रतासर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2067 ता 70 के खाता सं. 22/35 के खसरा नं. 140 में 1.075 है0, खसरा नं. 414 में 6.071 है0, खसरा नं. 415 में 5.060 है0 व खसरा नं. 433 में 1.012 है0, कुल 13.218 है0 (2.087 है0 बारानी प्रथम व 11.131 है0 बारानी दोयम) भूमि का खातेदार 'करणीसिंह पुत्र तख्तसिंह कौम राजपूत सा. देह' के स्थान पर 'करणीसिंह पुत्र तख्तसिंह खोलायत पुत्र विजयसिंह कौम राजपूत सा. देह' को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। इसी घोषणा के फलस्वरूप तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ़ को रोही रतासर तहसील सूरतगढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2067 ता 70 के खाता सं. 22/35 एवं इसकी बाद की जमाबन्दियों में खसरा नं. 140 में 1.075 है0, खसरा नं. 414 में 6.071 है0, खसरा नं. 415 में 5.060 है0 व खसरा नं. 433 में 1.012 है0, कुल 13.218 है0 (2.087 है0 बारानी प्रथम व 11.131 है0 बारानी दोयम) भूमि का खातेदार 'करणीसिंह पुत्र तख्तसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार' के स्थान पर 'करणीसिंह पुत्र तख्तसिंह खोलायत पुत्र विजयसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार' अंकित करने के आदेश दिये जाते हैं। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

नोज .....×..... मुबलिंग .....×..... बाबत .....×..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह .....×..... फसदों की पालना .....×.....आज की तारीख से तारीख वसूल्या वो तक की अदा करें।

बसिव्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक **28.07.2020** को जारी की गई।

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Meena
Date: 2020.07.30 17:08:06 IST
Reason: SelfAttested
Location: